

**न्यायालय— श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ (म0प्र0)**

कमांक— 710 / सी.जे.एम. / 2024

टीकमगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024

—:: **विविध आदेश** ::—

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 12 व 13 के अंतर्गत दण्डित कार्य विभाजन के संबंध में)

मैं श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी का स्थानांतरण होने से पूर्व में जारी कार्य विभाजन संबंधी विविध आदेश कमांक 462/2024 दिनांक 20.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 26.12.24 से प्रभावी होगा :-

(1) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश में निवाड़ी अंतर्गत कमांक 01 पर अंकित श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी को विलोपित किया जाता है एवं 02 पर अंकित श्रीमती सोनम वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी एवं कमांक 04 पर अंकित श्री मनीष छापरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी से संबंधित कार्यविभाजन को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया है :-

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
2	श्रीमती सोनम वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी न्यायिक जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र पृथ्वीपुर एवं महिला थाना निवाड़ी सिविल जिला निवाड़ी	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)।
			3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	--	--	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	--	--	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	--	--	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोडकर)
	--	--	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र के <b>खात्मा</b> प्रतिवेदन

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
	--	व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।	8	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं महिला संबंधी परिवाद पत्र</u> ।(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
	--	व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	9	आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 144 बी.एन.एस.एस. 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	--	आबकारी वृत्त निवाड़ी	10	आबकारी वृत्त निवाड़ी से उद्भूत समस्त प्रकरण।
	--	संपूर्ण राजस्व जिला निवाड़ी (खनि प्रकरण)	11	संपूर्ण सिविल जिला निवाड़ी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं जिला खनिज अधिकारी, जिला- निवाड़ी से उद्भूत समस्त प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
4	श्री मनीष छापिरया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी न्यायिक जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र- टेहरका एवं सेंदरी सिविल जिला निवाड़ी म0प्र0	1	विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	--	--	2	आवश्यक वस्तु अधि0 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।
	--	--	3	संबंधित आरक्षी केन्द्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
	--	--	4	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।
	--	--	5	संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	स.क.	कार्य विभाजन
	—''—	—''—	6	संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित परिवाद पत्र (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय आवेदनों को छोड़कर)
	—''—	—''—	7	संबंधित आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रतिवेदन
	—''—	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	8	वन वृत्त निवाड़ी एवं तहसील निवाड़ी मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	—''—	सम्पूर्ण राजस्व जिला निवाड़ी	9	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.2001 में किया गया है।

(2) कार्यविभाजन संबंधी उक्त आदेश में चार्ज प्रभार में निवाड़ी अंतर्गत क्रमांक 1 पर अंकित पंक्ति को विलोपित किया जाता है एवं क्रमांक 2, 3 एवं 4 पर अंकित पंक्ति को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3
2	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया, जेएमएफसी. निवाड़ी	श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी ओरछा
3	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया, जेएमएफसी. निवाड़ी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी निवाड़ी	श्री उपमन्यु शुक्ला, जेएमएफसी ओरछा
4	श्री मनीष छापरिया, जेएमएफसी. निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी निवाड़ी	श्री उपमन्यु शुक्ला, जेएमएफसी ओरछा

  
 (श्रीमती सपना पोर्ते)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 टीकमगढ़ म0प्र0

न्यायालय:- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक- 711 (11) / सी.जे.एम. / 2024


टीकमगढ़, दिनांक 26-12-2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, टीकमगढ़ म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्रीमान् समस्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित किए जाने बाबत्।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
12. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
13. जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
14. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. सिस्टम ऑफिसर/एस.ए. टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

नोट:-

उक्त कार्यविभाजन पत्रक की प्रति सभी न्यायाधीशगण को ई-मेल के माध्यम से संसूचित की जा रही है।

  
 (श्रीमती सपना पोर्ते)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 टीकमगढ़ म0प्र0